न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, (तृतीय) जयपुर जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजकुमार कस्वा (R.A.S.)

अपील संख्या :–05/2023

1. आचार्य प्रवर मंहत गोपालदास चेला हरिराम दास, मुख्यपीठ दादूद्वारा, नरायना तहसील फुलेरा जिला जयपुर जरिये मुख्तार ओमप्रकाश दास चेला गोपाल दास जाति दादूपंथी (स्वामी)पता नरायना तहसील फुलेरा जिला जयपुर(राज.)

मृतक दौराने अपील

1/1 आचार्य प्रवर श्री ओमप्रकाश स्वामी चेला व उत्तराधिकारी स्व0 श्री गोपालदासजी, पता मुख्यपीठ दादूद्वारा नरायना तहसील फुलेरा जिला जयपुर (राज.)

अपीलान्ट

बनाम

1. तेज प्रकाश पुत्र अर्जुनलाल जाति जाट निवासी बाना की ढाणी, काकरिया ग्राम नरायना तहसील फुलेरा जिला जयपुर राज.
2. दामोदर लाल पुत्र ब्रिजमोहन जाति महाजन निवासी कटला बाजार बस स्टेण्ड नरायना तहसील फुलेरा जिला जयपुर हाल निवासी फ्लेट 3 बी, आशी अनुकम्पा हाईट्स टी.आर. फूकन रोड़, फूल बागान, पानी की टंकी के सामने, मख्योया, भरलूमुख कामरूप मिट्रो असम
3. रामेश्वरदास चेला धन्नीराम दास जाति दादूपंथी (स्वामी) निवासी नरायना तहसील फुलेरा जिला जयपुर राज.
4. तहसीलदार तहसील फुलेरा जिला जयपुर राज.

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 5730, दिनांक 04.05.2023

ग्राम नरायना तहसील फुलेरा जिला जयपुर राज.

उपस्थित :–श्री कृष्ण कुमार पारीक, अधिवक्ता अपीलान्ट

श्री चन्द्रशेखर दाधीच, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

निर्णय दिनांक 6/9/24

1. अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील में यह तथ्य वर्णित किये गये है कि वादग्रस्त आराजी भूमि जिसका बेचान रेस्पोडेंट संख्या 3 द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को किया गया है तथा जिसके आधार पर खोला गया नामान्तकरण संख्या 5730, दिनांक 04.05.2023, ग्राम नरायना, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर धार्मिक सम्प्रदाय की है एवं उक्त संपत्ति पीढी दर पीढी गुरू शिष्य परम्परा के अनुसार निहित होती रही है, जिसका उपयोग उपभोग दादूपीठ के धार्मिक प्रयोजनार्थ स्थानधारी द्वारा किया जाता है तथा उक्त भूमि से प्राप्त आय का उपयोग धार्मिक प्रयोजनार्थ व आमजन की सेवा व आश्रम की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु किया जा रहा है। प्रकरण में वादग्रस्त संपत्ति रेस्पोडेंट संख्या 3 रामेश्वर दास की स्वअर्जित भूमि ना होकर गुरू शिष्य की परम्परा के अनुसार धार्मिक सम्पदा है तथा इस हेतु ही इसका उपयोग उपभोग होता है। दादू सम्प्रदाय की प्रथा व रीतिरिवाजानुसार

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

ऐसी धार्मिक संपत्तियों को विक्रय किया जाना कानूनन वर्जित है। यदि ऐसी धार्मिक संपत्तियों को विक्रय किया जाता है तो धार्मिक संपत्तियों का अस्तित्व समाप्त हो जावेगा। हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेंट संख्या 3 द्वारा उक्त विवादित भूमि जो उसकी स्वअर्जित भूमि नहीं थी तथा धार्मिक सम्पदा थी, जो उसे गुरू शिष्य की परम्परा के अनुसार प्राप्त हुई थी तथा उक्त भूमि दादू सम्प्रदाय की भूमि थी, जिसे विक्रय किया जाना कानूनन वर्जित था, के बावजूद रेस्पोडेंट संख्या 3 द्वारा अपने निजी स्वार्थो की पूर्ति हेतु उक्त भूमि का बेचान रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को कर दिया तथा बेचाननामा के आधार पर भूमि का नामान्तकरण रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पक्ष में स्वीकृत कर दिया, जिससे व्यथित होकर उक्त अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। **अपील बाद जांच दर्ज पंजिका कर रेस्पोडेन्टस की तलबी की गई।** रेस्पोडेन्टस अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए। दौराने विचारण अपील आचार्य प्रवर महन्त गोपाल दास चेला हरिराम दास, मुख्यपीठ दादूद्वारा नरायना, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर का देहावसान हो गया, जिनके देहावसान के बाद बतौर कायम मुकामान व विधिक वारिस के रूप में उनका चेला व उत्तराधिकारी आचार्य प्रवर श्री ओम प्रकाश दास स्वामी को रिकार्ड पर लिया गया।

2 वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी एक धार्मिक सम्प्रदा है तथा उक्त आराजी रेस्पोडेन्ट रामेश्वरदास जी को गुरू शिष्य परम्परा के अनुसार उन्हें प्राप्त हुयी है जिन्हें हस्तान्तरण, बेचान आदि किये जाने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं था। इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट रामेश्वरदास जी ने दादूद्वारे की धार्मिक सम्प्रदा को अवैध रूप से विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट्स तेज प्रकाश एवं दामोदर लाल को बेचान कर दी गयी तथा कथित बेचान पत्र के आधार पर नामान्तकरण संख्या 5730, दिनांक 04.05.2023 क्रेता के पक्ष में बिना किसी जांच व सुनवाई के अवैध रूप से तस्दीक कर दिया गया चूंकि विवादित आराजी धार्मिक सम्प्रदा होने के कारण रेस्पोडेन्ट रामेश्वरदास जी को बेचान किये जाने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं था तथा जो बेचान पत्र रामेश्वरदास जी द्वारा पंजीकृत करवाया गया है, वे विधि विरूद्व होने से उनके आधार पर तहसीलदार फुलेरा द्वारा जो नामान्तकरण तस्दीक किया गया है, निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही अधिवक्ता अपीलांट का दौहराने बहस यह भी कथन रहा है कि ग्राम नरायना में दादूपंथ सम्प्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है जो दादूधाम/दादूपीठ के नाम से विख्यात है जो दादूपंथ के समस्त साधू संत, महंत आदि सेवक व अनुनाईयों की आस्था व श्रद्वा का मुख्य स्थान है एवं दादू सम्प्रदाय के पंच तीर्थो में से एक है। दादूपीठ/दादूधाम की सर्व व्यवस्था दादू पीठाधीश के द्वारा ही की जाती है तथा इस मुख्य पीठ की सम्पतिया चल, अचल दादू पीठाधीश में निहित है। दादूपीठ के पाचवें आचार्य के रूप में स्वामी जैतराम जी हुए तथा जैतराम जी महाराज विक्रम संवत् 1789 मार्गशीर्ष शुक्ला अष्टमी को ब्रहमलीन हुये तथा उनकी आज्ञानुसार कृष्णादेव जी महाराज को उनका उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। जैताराम जी महाराज के जो अन्य शिष्य थे उनमें से एक शिष्य रामचन्द्रदास जी नरायना में ही रहे एवं उनकी शिष्य परम्परा निम्न प्रकार से रही–

रामचन्द्रदासजी–भगवतदासजी–हरिनारायणजी–नन्दरामजी–बुद्वरामजी–खेमदासजी– गुमानदासजी–धनीरामजी–रामेश्वरदासजी।

3 इस प्रकार से जैतराम जी के अन्य शिष्य रामचन्द्र दास जी की जो शिष्य परम्परा चली उसके अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी गुरू शिष्य परम्परा का निर्वाह करते हुये स्थानधारी की मृत्यु पर प्रधान निहंग शिष्य को उत्तराधिकारी नियुक्त किये जाने की प्रथा परम्परा का पालन किया गया साथ ही भवन व दादू आश्रम व कृषि भूमि का जो कि धार्मिक सम्पदा है की देखभाल व्यवस्था

अतिरिक्त कलक्टर
(द्वितीय) जयपुर

का भी अधिकारी माना गया। इस गुरू शिष्य परम्परा के अनुसार अचल धार्मिक सम्पदा दादू आश्रम व कृषि भूमि का हस्तान्तरण निषेध है तथा गत 250 वर्षो में किसी के द्वारा भी अचल सम्पति का हस्तान्तरण नहीं किया गया। रामचन्द्र दास जी की शिष्य परम्परा में गुमानदास जी ने धनीराम जी को समाज की परम्परा के अनुसार 5–6 वर्ष की अवस्था में शिष्य बनाया तथा धनीराम जी ने अपने जीवनकाल में रामेश्वरदास जी को अपना शिष्य बनाया। जो गुरू शिष्य परम्परा की प्रद्वति के अनुसार बनाया। ग्राम नरायना में स्थित आराजी खसरा नबर 1212, 1231, 1232, 1234, 1235, 1240 लगायत 1245, 1236 कुल किता 13 कुल रकबा लगभग 47 बीघा की कृषि भूमि व दादू आश्रम की देखभाल, सुरक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी गुरू शिष्य परम्परा के अनुसार इस दादू आश्रम के स्थानधारी करते आ रहे है इसी क्रम में वर्तमान में रेस्पोडेन्ट रामेश्वर दास द्वारा देखभाल सुरक्षा की जाती रही है। रेस्पोडेन्ट रामेश्वरदास एवं उनके पूर्वजों का भी उसकी मिल्कीयत से कोई सम्बन्ध नहीं रहा तथा इसकी आय का उपयोग धार्मिक प्रयोजनार्थ ही स्थानधारी द्वारा किया जाता रहा है तथा सम्पति को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण किये जाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। विवादग्रस्त सम्पति एक धार्मिक सम्प्रदा है तथा धार्मिक सम्प्रदा को विक्रय किये जाने का अधिकार न होते हुए भी रेस्पोडेन्ट रामेश्वरदास द्वारा उक्त धार्मिक सम्पति को बेचान पत्र द्वारा रेस्पोडेन्ट तेज प्रकाश एवं दामोदर लाल को बेचान कर दी गयी तथा कथित बेचान पत्र के आधार पर तहसीलदार फुलेरा, जिला जयपुर द्वारा उपरोक्त वर्णित नामान्तकरण अवैध रूप से क्रेता के पक्ष में तस्दीक कर दिया गया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलान्ट की ओर से निम्न न्यायिक दृष्टान्त आर. एल. आर. 1990 पार्ट–2 पेज संख्या 672, आर. आर. टी. 2007 पार्ट–2 पेज संख्या 1092 प्रस्तुत किये है।

4 वकील रेस्पोडेन्ट्स की ओर से लिखित बहस पेश की गयी। जिसमें उनके द्वारा यह तथ्य अंकित किये गये कि अपीलाधीन नामान्तकरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के आधार पर खोले गये है। रेस्पोडेन्ट रामेश्वरदास ने अपनी खातेदारी की भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर बेचान कर कब्जा भौतिक रूप से क्रेता का करवा दिया था तथा जो नामान्तकरण स्वीकृत हुआ है वह नियमानुसार स्वीकृत किया है एवंम् विक्रय पत्र की जांच कर तस्दीक किया गया है। अपीलान्ट को कोई विधिक अधिकार रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विपरित है तो वह पहले अपने विधिक अधिकारों की घोषणा सक्षम न्यायालय से करवावे एवंम् रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को चेलेंज करे। अपीलान्ट के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे वादग्रस्त आराजी में उसका प्रत्यक्ष हित व अधिकार प्रकट होता हो। अपीलान्ट गोपालदास जी की मृत्यु हो चुकी है तथा उनका उत्तराधिकारी रिकार्ड पर है। इस संबंध में विभिन्न न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन है। जिसके बावजूद भी बिना विधिक अधिकार तय हुए अपीलान्ट की यह अपील कानूनन पोषणीय नहीं रही है तथा अपील को खारिज फरमाने की प्रार्थना की गयी। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से निम्न न्यायिक दृष्टांत आर. आर. टी. 2023 (2), राजस्थान उच्च न्यायालय एस. बी. सिविल रिट पिटीशन नं0 4129/1998 व 4133/1998 निर्णय दिनांक 23.04.2015 व राजस्थान उच्च न्यायालय एस. बी. सिविल रिट पिटीशन नं0 12041/2018 उनवानी मजूला देवी व अन्य बनाम श्रीमती महफूली देवी वगै0 निर्णय दिनांक 07.06.2019 पेश की गयी।

5 पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों एवं बहस उभय पक्ष पर अवलोकन/मनन किया गया। अपीलों के अवलोकन से यह तथ्य उभर कर सामने आये है–

1. विवादग्रस्त ~~दादू आश्रम व~~ कृषि भूनि दादू सम्प्रदाय की धार्मिक सम्पदा है जिस पर रेस्पोडेन्ट रामेश्वरदास की हैसियत मात्र ट्रस्टी के रूप में देखभाल व सुरक्षा की है।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

2. विवादित कृषि भूमि एक धार्मिक सम्प्रदा है जिसे बेचान करने का कोई अधिकार रेस्पोडेन्ट रामेश्वरदास को प्राप्त नहीं था।

अपील का अवलोकन व प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर यह तथ्य न्यायालय के समक्ष आये है कि महन्त गोपालदास जी का देहावसान हो जाने के पश्चात जो कायम मुकामान की दरख्वास्त बाबत रिकार्ड पर लिये जाने बाबत महन्त ओमप्रकाश दास स्वामी चेला महन्त गोपालदास, प्रस्तुत की गयी, जिस पर रेस्पोडेंट्स द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। रेस्पोडेंट्स का यह तर्क कि उत्तराधिकार विवादित है, न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है तथा रेस्पोडेन्ट रामेश्वरदास जी को जो कृषि भूमि प्राप्त हुयी है वह गुरू शिष्य परम्परा के अनुसार उनमें निहित हुयी है तथा गुरू शिष्य परम्परा के अनुसार जो सम्पति उत्तराधिकार के रूप में निहित होती है उसकी प्रकृति धार्मिक प्रकृति मानी जायेगी अर्थात् रेस्पोडेन्ट रामेश्वरदास जी को जो सम्पति कृषि भूमि प्राप्त हुयी है वह एक धार्मिक सम्पदा है जिसे हस्तान्तरण, बेचान आदि किये जाने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। यदि इस प्रकार की धार्मिक सम्पदाओं का बेचान उनके उत्तराधिकारियों द्वारा किया जाता रहा तो धार्मिक स्थलों व उनकी सम्पतियों का कोई सरंक्षण नहीं रहेगा एवं धार्मिक स्थल व उनकी सम्पतिया नष्ट हो जायेगी। दादू सम्प्रदाय में शिष्य बनने के पश्चात् यदि उक्त व्यक्ति द्वारा गृहस्थ जीवनयापन कर लिया है तो यदि ऐसे व्यक्ति को दादू सम्प्रदाय से शिष्य रहते हुए कोई सम्पति उसे गुरू शिष्य परम्परा के अनुसार प्राप्त हुयी है तो उसके द्वारा वैवाहिक अथवा गृहस्थ जीवन यापन करने पर उक्त सम्पति उसमें निहत नहीं रहेगी एवंम् ऐसी स्थिति पुनः दादू सम्प्रदाय में निहित होकर एक धार्मिक सम्पदा हो जायेगी। अपीलान्ट के द्वारा जो न्यायिक दृष्टांत आर. एल. आर. 1990 (2) पेज संख्या 672 पेश की है उसके पेरा संख्या 23 से 27 के अन्दर महंत व चेला को प्राप्त होने वाली सम्पति के सम्बन्ध में सिंद्वात प्रतिपादित किये है। अपीलाधीन नामान्तकरण में जो कृषि भूमि रेस्पोडेन्ट रामेश्वरदास जी को प्राप्त हुयी है वह गुरू शिष्य परम्परा के अनुसार ही प्राप्त हुयी है जो एक धार्मिक सम्पदा की श्रेणी में आती है एंवम् रेस्पोडेन्ट रामेश्वरदास जी को इस प्रकार की सम्पति को सम्प्रदाय के हित व दादूद्वारा की आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावा निजी आधार पर बेचान, हस्तान्तरण किये जाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। रेस्पोडेन्ट रामेश्वरदास जी द्वारा बेचान पत्र रेस्पोडेन्ट्स तेज प्रकाश व दामोदर लाल के पक्ष में पंजीकृत करवाया है एंवम् कथित बेचान पत्र के आधार पर जो अपीलाधीन नामान्तकरण क्रेता के पक्ष में तस्दीक किया गया है, वह इन तथ्यों को नजरअदांज करते हुए व बेचान की गयी सम्पति की प्रकृति की जानकारी किये बिना धार्मिक सम्पदा के बेचान पत्र के आधार पर तस्दीक किया गया है, जो विधि विरूद्व होने से तस्दीक नामान्तकरण संख्या 5730, दिनांक 04.05.2023, ग्राम नरायना, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 5730, दिनांक 04.05.2023, ग्राम नरायना, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर को निरस्त किया जाता है।

(राजकुमार कस्वा)
अतिरिक्त कलेक्टर (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर